झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

<u>डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–587 वर्ष 2017</u>

लालमुणि देवी, पत्नी–श्री रामजनम राम, निवासी ग्राम–सोनडीहा, डाकघर एवं थाना–धुरकी, जिला–गढ़वा .... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य अपने प्रधान सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट भवन, डाकघर एवं थाना–धुर्वा, जिला–रांची के माध्यम से।
2. उपायुक्त, गढ़वा, डाकघर, थाना एवं जिला–गढ़वा।
3. अनुमण्डलीय पदाधिकारी, नगर उंटारी, डाकघर एवं थाना–नगर उंटारी, जिला–गढ़वा।
4. जिला आपूर्ति अधिकारी, गढ़वा, डाकघर, थाना एवं जिला–गढ़वा।
5. प्रखण्ड आपूर्ति अधिकारी, एस0ए0जी0एम0ए0, कार्यालय एस0ए0जी0एम0ए0 में, डाकघर एवं थाना–नगर उंटारी, जिला–गढ़वा।

.... उत्तरदातागण

कोरम : **<u>माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन</u>**

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री देवेश कृष्ण, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिएः– जी0पी0–IV का जे0सी0

4/दिनांकः12वीं अप्रैल, 2018

याचिकाकर्ता ने अपीलीय आदेश को चुनौती दी है जिसके द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में दी गई सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। उन्होनें कहा कि दो जाँच रिपोर्ट हैं, एक याचिकाकर्ता के पक्ष में और एक याचिकाकर्ता के खिलाफ, लेकिन अपीलीय प्राधिकारी ने अनुकूल रिपोर्ट पर विचार नहीं किया और जांच रिपोर्ट जो याचिकाकर्ता के खिलाफ है, के आधार पर अपील को खारिज कर दिया। उन्होनें कहा कि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अनुकूल रिपोर्ट को खारिज करने का कारण था, इसका उल्लेख नहीं किया गया है। इस प्रकार, यह आदेश खराब है अैर इसे देते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया गया है।

जी0पी0–IV के विद्वान जे0सी0 ने प्रस्तुत किया है कि पुनरीक्षण का एक वैधानिक प्रावधान है और याचिकाकर्ता उक्त उपाय का लाभ उठाना चाहिए। उन्होनें कहा कि बिहार व्यापार लेख (लाइसेंस एकीकरण) आदेश, 1984 की धारा 29 में आयुक्त के समक्ष एक पुनरीक्षण दाखिल करने का प्रावधान है और याचिकाकर्ता को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत सीधे इस न्यायालय से संपर्क किए बिना आयुक्त के समक्ष जाना होगा। उन्होनें कहा कि आयुक्त को पुनरीक्षण पर विचार करने का अधिकार मिला है, जहां अपीलीय प्राधिकरण ने निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया है जो उसको निहित नहीं है या अपीलीय प्राधिकरण ने उसमें निहित अधिकार क्षेत्र से अधिक का प्रयोग किया है या जहां अपीलीय प्राधिकरण अपने निहित अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने में विफल रहा है। यह प्रस्तुत किया गया है कि आयुक्त एक उचित आदेश पारित कर सकते हैं।

धारा 29 के प्रावधानों से गुजरने के बाद, मुझे लगता है कि याचिकाकर्ता को अपनी शिकायत के निवारण के लिए आयुक्त के समक्ष जाना उचित होगा।

इस प्रकार, याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह उपायुक्त के आदेश को चुनौती देते हुए उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष एक पुनरीक्षण दायर करे। चूंकि इस संबंध में वैकल्पिक उपाय है, इसलिए मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए इच्छुक नहीं हूँ।

यह रिट एप्लिकेशन उपरोक्त प्रेक्षण एवं निर्देश के साथ निपटाया जाता है।

(आनंदा सेन, न्याया0)